

राजस्थान सरकार
गृह (युप-7) विभाग

क्रमांक . प.33(2)गृह/युप-9/2019पार्ट-3

जयपुर, दिनांक : 23 JUN 2021

समस्त कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
राजस्थान।

विषय :- कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गाइडलाइन्स के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपर महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे के पत्र संख्या.सी-358/कोविड-19/2020 दिनांक 16.04.2021 (प्रति संलग्न) कर निर्देशानुसार लेख है कि रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले ऐसे यात्रियों, जिनके पास आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट न हो, ऐसे यात्रियों को होम क्वारंटीन अथवा जिनके पास समुचित स्थान न हो तो उन्हें जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर संस्थागत क्वारंटीन किया जावे साथ ही प्रशासन द्वारा उनकी निगरानी रखी जावे, किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्वारंटीन नियमों को उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(सी.ए.कुमार)
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (युप-7)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Email : dm-sir-rj@nic.in

judisectionsirohi@gmail.com

क्रमांक प.16(12)()कोरोना/न्याय/20/ 3294

दिनांक 24-06-2021

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही ।
2. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही / शिवगंज / पिण्डवाडा / आबूपर्वत / रेवदर ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ।
4. जिला स्तरीय अधिकारी.....(समस्त), जिला-सिरोही
5. समस्त इन्सिडेन्ट कमाण्डर्स / समस्त सदस्य संयुक्त जॉय दल, जिला सिरोही ।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही / शिवगंज / पिण्डवाडा / आबूरोड / रेवदर
7. तहसीलदार, सिरोही / शिवगंज / पिण्डवाडा / आबूरोड / रेवदर
8. आयुक्त, नगरपरिषद्, सिरोही / आयुक्त, नगरपालिका, आबूपर्वत / अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, शिवगंज / पिण्डवाडा / आबूरोड / जावाल ।
9. प्रभारी अधिकारी, नियन्त्रण कक्ष / विकास शाखा / आपदा प्रबन्धन कार्यालय हाजा ।
10. स्टेशन अधीक्षक, रेलवे आबूरोड / पिण्डवाडा ।
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु

अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही



सत्यमेव जयते

उत्तर पश्चिम रेलवे
प्रधान कार्यालय, जमशेदपुर जंक्शन के पास
साजवीन नगर जमशेदपुर-302017
NORTH WESTERN RAILWAY
Headquarters: 1700 New Jemshedi Circle
Jharkhand - 831001
Phone: 0656-2621111
Fax: 0656-2621112
E-mail: nwr@nic.nic.in

दिनांक: 16.04.2021

संख्या सी 58 कोविड 10/2020

प्रमुख साशन सचिव/गृह
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषय: कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गाइडलाइन्स के सम्बन्ध में।

संदर्भ: राज. सरकार गृह विभाग का पत्रांक 33 (गृह-9)/2019/जयपुर दि. 14.04.21

आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से कोविड 19 की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने हेतु गाइडलाइन्स की मांग की गयी है। उक्त गाइडलाइन्स की मांग को उत्तर पश्चिम रेलवे राज्याधिकार में विचार करके उक्त गाइडलाइन्स को दिनांक 08.04.21 एवं 15.04.21 से अद्यतन कराया गया है।

आपके दिनांक 14.04.2021 के संदर्भित पत्र में दिनांक 16.04.2021 से 30.04.2021 तक कोविड के प्रसार को रोकने के निर्देशों की अनुपालना के लिये आदेशित किया गया है। उक्त पत्र के संदर्भ में निम्ने प्रकारानुसार दो मदों के संबंध में निवेदन इस प्रकार है -

1. मद्र संख्या 12 I (iii) के माध्यम से राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से आने वाले यात्रियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की कठोर सुनिश्चित करवाने के निर्देश उत्तर पश्चिम रेलवे को दिए गए हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत रेलवे में प्रत्येक गाड़ी में प्रतिदिन 213 आरटी-पीसीआर जांचें कराई जा रही हैं और इन सभी गाड़ियों में बाहर से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जांच किये जाने के लिए ठहराव वाले स्टेशनों पर रेलवे में पर्याप्त संख्या में स्टाफ उपलब्ध नहीं है, और यात्रियों के पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की दशा में रेल प्रशासन के पास कोरेटाईन करने हेतु साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अतः अनुरोध है कि राज्य प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरेटाईन किए जाने एवं पर्याप्त संख्या में सतत स्टाफ उपलब्ध करवाकर आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच करवाये जाने की व्यवस्था हेतु समुचित आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।
2. मद सं 10 (b) के संबंध में रेल परिसर में मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाही करने के लिए रेल प्रशासन के अधिनस्थ अधिकारियों को आपका पत्र सं 10 (b) दिनांक 16.04.21 के अन्तर्गत अधिवृत्त करने के लिए समुचित आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।

सादर धन्यवाद।

संख्या 02

(गीताम अरोरा)

आवर महाप्रबन्धक

प्रतिरूपि -

1. मुख्य सचिव - राजस्थान सरकार ।
2. प्रमुख सचिव/स्वार्थ्य - राजस्थान सरकार ।